

4/10/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आधिकार  
उपद प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक  
19/11/24 को पेश है।

19/11/24

19/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधिकार  
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधिकार को  
नियमानुसार तीन बार उवाचों लगावाए गईं  
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50  
PM हो चुका है। न्यायालय में वादी एवं  
वादी आधिकार को पुनः एक बार उवाच  
लगावाए गईं परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।  
वादी एवं वादी आधिकार के न्यायालय में  
उपस्थित नहीं आते हैं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद  
अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कादलकारी  
आधिनियम को अदम टाजरी-अदम पैरवी में  
स्वीकृत किया जाता है। इसी पत्र जारी है।

निर्णय करे इजलास पुनः  
गया। पत्रावली के लक्षण सुमार होकर तात्काल  
प्रकार ही तथा नम्बर से कम हो।

19/11/24

सहायक क्लर्क  
भीलवाड़ा